न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – मनोज कुमार, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 145/2018

प्रर्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1नेमीचंद पुत्र मोहनलाल देवडा जाति माली निवासी बास तुलीसर ताउसर तहसील व जिला नागौर। 2रूपचंद पुत्र पांचाराम जाति भाटी माली निवासी बाईसर बास ताउसर तहसील व जिला नागौर। 3पापालाल पुत्र बिरदीचंद जाति भाटी माली निवासी बाईसर बास ताउसर तहसील व जिला नागौर।		1महावीर पुत्र मुन्नालाल जाति माली निवासी बाइसर बास, ताउसर तहसील व जिला नागौर। 2ग्राम पंचायत ताउसर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत ताउसर तहसील व जिला नागौर।

उपस्थिति– 1. श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से।
2 .श्री रामेश्वरलाल, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय दिनांक 22.02.21

1– यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ताउसर द्वारा प्रस्ताव दिनांक 15.02.1991 जिसके द्वारा पटटा सं. 26/1990–91 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रार्थीगण की निगरानी दिनांक 18.05.2018 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री रामेश्वरलाल अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी सं. 2 बावजूद सूचना के न्यायालय मे अनुपस्थित रहे है। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में मिसल सं. 25/1990–91 की फोटोप्रति, पटटा सं. 24 की फोटोप्रति, ग्राम ताउसर की जमाबंदी (खतौनी) संवत 2067–70 की फोटोप्रति, मूल फोटो–3, रसीद की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत के पत्रक्रमांक 47 दिनांक 23.10.17 की फोटोप्रति, पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 24.10.17 की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. 1 दिनांक 5.4.18 की प्रमाणित प्रतिलिपि, शिकायत प्रार्थना पत्र ग्रामवासी ताउसर दिनांक 11.5.18 के दो प्रार्थना पत्रो की फोटोप्रतियां एवं प्रकरण सं. 29/18 सरकार बनाम रामेश्वरलाल फर्द अहकाम दिनांक 11.05.18 से 14.5.18, निर्णय दिनांक 14.5.18, पटवारी रिपोर्ट दिनांक 11.5.18, पटवारी का प्रार्थना पत्र दिनांक 11.5.18 बाबत टीपी रिपोर्ट पेश करने, नोटिस दिनांक 11.5.18, ग्रामवासी ताउसर प्रार्थना पत्र दिनांक 14.5.18 एवं तहसीलदार के पत्र दिनांक 16.5.18 की प्रतिया प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का रेकर्ड मंगाया गया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस शुरू करते बताया कि–

2(1)–प्रस्ताव व पटटा जैर निगरानी खिलाफ कानून एवं तथ्यो एवं परिस्थितियो के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

2(2)–विवादित भूमि आबादी भूमि नही है व न ही ग्राम पंचायत को आबादी हेतु आंवटित भूमि है। बल्कि राजस्व भूमि है तथा खसरा नं. 651 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा किस्म जमीन गै.मु. गोचर भूमि है जो किसी भी प्रकार से ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार मे नही आती है। साथ ही ऐसी भूमि के संबंध मे किसी प्रकार का पटटा जारी नही किया जा सकता है। भूमि चारागाह उपयोग हेतु सार्वजनिक उपयोग की भूमि है तथा राजस्व भूमि है। जिसके संबंध मे किसी भी प्रकार का पटटा ग्राम पंचायत द्वारा जारी नही किया जा सकता है। ग्राम पंचायत को केवल मात्र आबादी भूमि का पटटा जारी करने का अधिकार है अन्य किसी भी भूमि के संबंध मे पटटा जारी करने हेतु अधिकार नही है। फिर भी अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर गलत रूप से पटटा जारी किया है। इसलिये भी प्रस्ताव एवं पटटा जैर निगरानी अवैध व गलत तरीके से अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पारित किये गये होने से निरस्तनीय है।

2(3)–ग्राम पंचायत ताउसर द्वारा आबादी भूमि के निस्तारण हेतु राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अन्तर्गत जो नियम 141, 160 तक दिये गये है। उनमे से किसी भी नियम की कोई पालना नही की है तथा संपूर्ण कार्यवाही दिये गये नियमो के विपरीत जाकर की गई है। इसलिये भी प्रस्ताव एवं पटटा जैर निगरानी नियमो के विपरीत जाकर पारित किया गया होने से विधि सम्मत नही होने के कारण निरस्तनीय है।

2(4)–आवेदन पेश होने पर आवेदन दर्ज रजिस्टर करने का आदेश दिया जाता है तथा स्थल निरीक्षण हेतु तीन पंचो की समिमि नियुक्ति हेतु पत्रावली आगामी बैठक मे रखी जानी आवश्यक है तथा 15 दिवस के भीतर भीतर स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश की जानी आवश्यक है। उक्त पत्रावली मे दिनांक 30.06.90 को आवेदन पेश हुआ तथा कमेटी का कोई गठन नही किया गया तथा कमेटी द्वारा दिनांक 30.07.90 को निरीक्षण करना बताया गया जबकि निर्देश के 15 दिवस के भीतर मौका देखना आवश्यक है तथा मौका रिपोर्ट पर ग्राम सेवक के कोई हस्ताक्षर नही है साथ ही कोई नक्शा भी पेश नही हुआ है तथा उसी दिन उक्त रिपोर्ट पेश करना बताकर एक माह मयाद की आपति नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया। जिस पर नोटिस जारी किया गया। परंतु नोटिस पर किसी भी प्रकार केक्रमांक अंकित नही है तथा उक्त नोटिस कहां पर चस्पा किया गया व कब चस्पा किया गया। इसका कोई अंकन नही है। नियम 148 के अनुसार नोटिस दो प्रतियो मे जारी किया जाना आवश्यक होता है। जिसमे से एक प्रति प्रस्तावित भूमि पर व दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियो के हस्ताक्षर होना

अपर कलक्टर, नागौर

आवश्यक है। साथ ही एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा होना आवश्यक है। उक्त नोटिस किनके समक्ष कहां पर चस्पा किया गया। इसका कोई अंकन नही है। साथ बिना प्रक्रिया की पालना किये प्रस्ताव व पटटा जारी करने का आदेश पारित किया गया है एवं पटटे पर ग्राम सेवक के हस्ताक्षर भी नही है तथा पडोस भी गलत दर्ज किये है तथा नियमानुसार संपूर्ण प्रक्रिया की पालना किये बिना सारी कार्यवाही कर प्रस्ताव व पटटा जारी किया गया है। जो विधिक प्रावधानो के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।

2(5)– जिस भूमि के संबंध मे पटटा जारी किया गया है। वह भूमि पूर्णतया खुली भूमि है तथा वहां पर बास बाईसर व तुलीसर एवं ग्राम ताउसर की आबादी का गंदा पानी इकट्ठा होता है जो पिछले कई वर्षो से इकट्ठा होता आया है तथा जिस दिन आवेदन पेश किया। उस दिन भी यहां पर गंदा पानी इकटठा होता रहा है तथा गढढा है। जहां पर पानी इकटठा रहता है। ऐसी स्थिति मे आवेदन पेश करने के दिन अप्रार्थी सं. 1 का किसी भी प्रकार का कब्जा नही था। साथ ही आवेदन पेश होने के पश्चात से लेकर आज दिन तक मौके पर किसी भी प्रकार का कब्जा नही है तथा भूमि पूर्ण रूप से खाली है। जिस पर कोई निर्माण किया हुआ नही है। विधि अनुसार केवल मात्र आवासीय भूमि जहां पर आवास हेतु निर्माण होकर आवास रहता है। उसी भूमि का पटटा जारी किया जा सकता है। अन्य भूमि का पटटा जारी नही किया जा सकता है। बाकी भूमि का विक्रय नीलामी के द्वारा ही किया जा सकता है। अन्य किसी भी तरीके से पटटा जारी नही किया जा सकता है। नियम 157 के तहत केवल मात्र पुराने मकानो के संबंध मे पटटा जारी किया जा सकता है। अन्य किसी भी प्रकार का रहवास नही है व न ही कब्जा है। इसलिये ऐसी भूमि के संबंध मे कोई पटटा जैर निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम व नियमो के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।

2(6)– जो गवाहान के बयान लिये गये है। वह बयान एक ही प्रपत्र मे दो गवाह के बयान दर्ज किये गये है। जबकि दोनो के बयान अलग अलग होने से चाहिये तथा नक्शा मे भी केवल मात्र प्लोट बताया गया है। किसी भी प्रकार का निर्माण नही बताया गया है। ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि के संबंध मे विधि अनुसार कोई पटटा जारी नही किया जा सकता है। संपूर्ण कार्यवाही नियम विरूद्व जाकर की गई है। जो विधि सम्मत नही होने से प्रस्ताव एवं पटटा जैर निगरानी अपास्त होने योग्य है।

2(7)– प्रार्थीगण का यह भी कथन रहा है कि आराजी भूमि ग्राम ताउसर के खसरा नं. 651 गै.मु. गोचर मे स्थित है तथा इस संबंध मे ग्राम पंचायत द्वारा पटवारी हल्का से जानकारी लिये जाने पर पटवारी हल्का ने दिनांक 24.10.17 को अवगत कराया था कि आराजी भूमि खसरा नं. 651 रकबा 7.15 बीघा गै.मु. गोचर भूमि मे स्थित है। तत्पश्चात ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 15.04.18 के प्रस्ताव सं. 1 के द्वारा अप्रार्थी महावीर द्वारा पटटासुद भूमि मे चारदीवारी निर्माण एवं पानी बिजली कनेक्शन के लिये एनओसी चाही जाने पर यह भूमि खसरा नं. 651 गै.मु. गोचर मे होने से अनाप्ति प्रमाण पत्र जारी नही करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। राजकीय गोचर भूमि मे ग्राम पंचायत को पटटे जारी करने के कोई अधिकार नही है। आराजी भूमि के दक्षिण मे एकदम चिपती भूमि को लेकर तहसीलदार नागौर के प्रकरण सं. 29/18 सरकार बनाम रामेश्वरलाल मे आराजी भूमि को गोचर भूमि मानते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दिनांक 14.05.2018 को भौतिक रूप से बेदखली व शास्ति के आदेश भी पारित किये गये है। ऐसी स्थिति मे राजकीय भूमि पर यदि पंचायत द्वारा पटटा जारी कर भी दिया जाता है तो वो शुरू से ही प्रभाव शून्य (Ab-initio-void) माना जायेगा तथा अपने कथन के समर्थन मे घेवरचंद बनाम राज. सरकार अन्य एसबी सिविल रिट पिटिशन सं. 8887/2017 की फोटोप्रति, 2011(3) डीएनजे (राज) पेज 1286, 2010(3) डीएनजे (राज) पेज 1147, 2015(1) डीएनजे (राज) पेज 443, 2016(4) डीएनजे (राज) पेज 1799, आरआरटी 2002 (2) पेज 737, 2013(1) डीएनजे (राज) पेज 177, 2008(3) डीएनजे (राज) पेज 604, 2016(3) डीएनजे (राज) पेज 1202, 2016(3) डीएनजे (राज) पेज 1202, 2003(2) आरआरटी (राज) पेज 1328, 2015(2) डीएनजे (राज) पेज 595, 2009(1) आरआरटी (राज) पेज 609 तथा 2012(2) आरआरटी (राज) पेज 1265 नजीरे प्रस्तुत की।

3– वकील अप्रार्थी सं. 1 द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि आराजी पटटे को लेकर प्रार्थी पीडित पक्षकार नही होकर वो बोनाफाईड व्यक्ति नही है तथा उसे निगरानी करने का अधिकार नही है। इस भूमि का राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के तहत आपसी बातचीत से आबादी भूमि का विक्रय / हस्तान्तरण किया गया है। जिसका नियम 266 (घ) के अन्तर्गत 18–20 वर्ष का कब्जा मानते हुए 889 रू. बाजार कीमत पर मानते हुए विक्रय किया गया है। पटटा सं. 26 से संबंधित भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा है तथा पंचायत राज नियमो के तहत पत्रावली खोली जाकर सभी प्रक्रियाओ का पालन करते हुए एवं आपति विज्ञप्ति जारी की जाकर ही पटटा जैर निगरानी पारित किया गया है। जो विधिसम्मत होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये। विवादित भूमि गोचर की भूमि रही हो, ऐसे कोई दस्तावेज नही है। साक्ष्यो के अभाव मे उसे गोचर भूमि नही माना जा सकता है।

4– वकील प्रार्थी ने वकील अप्रार्थी की बहस का जवाब देते हुए बताया कि आराजी भूमि राजकीय गोचर भूमि है। जिसमे ग्राम पंचायत मे निवास करने वाले सभी व्यक्तियो का हित होता है तथा विवादित पटटा गोचर भूमि से संबंधित होने से वो हितबद्व पक्षकार है तथा निगरानी ला सकता है। पंचायत राज अधिनियम की धारा 97 मे ग्राम

अपर कलक्टर, नागौर

पंचायत द्वारा जारी प्रस्ताव को किसी भी व्यक्ति द्वारा चेलेन्ज किये जाने मे कोई प्रतिबन्ध नही है। यहां तक कि संज्ञान मे आने पर न्यायालय स्वप्रेरणा से भी कार्यवाही कर सकता है। मियाद के बिन्दु पर वकील प्रार्थी का कथन रहा है कि आराजी भूमि पर शुरू से ही गांव का गंदा पानी भरा रहता था। जहां अप्रार्थी ने कब्जा करने पर आमादा हुए तो प्रार्थीगण व अन्य लोगो ने एतराज किये जाने पर सर्वप्रथम जानकारी 08.04.2018 को होते ही ग्राम पंचायत से रेकर्ड आदि की नकले लेकर दिनांक 17.04.18 को निगरानी हाजा प्रस्तुत की गई है। साथ ही निगरानी के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसका खण्डन अप्रार्थी द्वारा नही किया गया है। अप्रार्थी के पक्ष मे जारी पटटा राजकीय गोचर भूमि से संबंधित है। जो शुरू से ही अवैध एवं प्रभाव शून्य होने से ऐसे आदेश को कभी भी चेलेन्ज किया जा सकता है। इसके साथ ही निगरानी के मामले मे मियाद के प्रावधान लागू भी नही होते है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 03.12.96 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1944 की धारा 97 की शक्तियां जिला कलक्टर को प्रदत्त की गयी थी। जिन्हे आदेश दिनांक 1.2.02 के द्वारा धारा 97 के अन्तर्गत जिला कलक्टर को धारा 97 की शक्तियां प्रयोग करने हेतु अधिकृत नही किया गया था, जिसके पश्चात राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.12.2004 के द्वारा पूर्व अधिसूचना दिनांक 03.12.96 (पंचो को हटाने संबंधी अधिकार के अलावा) को दिनांक 1.2.2002 से ही पुर्नस्थापित कर दिये जाने से जिला कलक्टर को पंचो को हटाने के अलावा धारा 97 के तहत किसी पंचायत राज संस्था द्वारा पारित किसी विनिश्चय या आदेश को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा अपने कथन के समर्थन मे हमारा ध्यान माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एस बी सिविल रिट पिटिशन नं. 8887/2017 मे पारित आदेश दिनांक 11.08.17 की ओर दिलाया।

5– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया, जिसके अनुसार –

5(1)– प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली सं. 27/90–91 जिसमे प्रस्ताव सं. 3 दिनांक 15.02.1991 को अप्रार्थी महावीर पुत्र मुन्नालाल को पटटा सं. 26 दिनांक 15.06.91 जारी किया गया है, को निरस्त किये जाने को लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

5(2)– प्रार्थीगण द्वारा निगरानी के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा आराजी भूमि पर अप्रार्थी सं. 1 मिटटी भरवाने पर आमादा होने व कब्जा करने पर आमादा होने से प्रार्थीगण व अन्य निवासियो द्वारा एतराज करने पर पटटा जारी होने की जानकारी दिनांक 9.4.18 को होने पर निगरानी दिनांक 17.04.18 को प्रस्तुत की गई है। मियाद के बिन्दु पर वकील अप्रार्थी द्वारा कोई विरोध भी नही किया गया है। प्रश्नगत भूमि सार्वजनिक गोचर सरकार के स्वामित्व की भूमि बिना वैध पात्रता के भूमि का आवंटन प्रारंभतः शून्य होने से, ऐसे आदेश को कभी भी चेलेन्ज किया जा सकता है तथा मियाद मार्ग मे बाधा नही मानी जा सकती है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण की निगरानी अंदर मियाद मानी जाती है।

5(3)– अप्रार्थी का उजर रहा है कि प्रश्नगत भूमि का राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के तहत आपसी बातचीत से आबादी भूमि का विक्रय / हस्तान्तरण किया गया है। जिसका नियम 266 (घ) के अन्तर्गत 18–20 वर्ष का कब्जा मानते हुए 889 रू. बाजार कीमत पर मानते हुए विक्रय किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार ग्राम पंचायत ताउसर के पत्र क्रमांक 47 दिनांक 23.10.17 के द्वारा स्कीम बाजार के पास स्थित राजकीय अस्पताल प्राथमिक चिकित्सालय के सामने खुली पडी जमीन पर पानी इकटठा हो रखा है। उक्त भूमि की किस्म रामेश्वरलाल पुत्र पूनमचंद द्वारा प्रस्तुत आवेदन के क्रम मे पटवारी से जानकारी चाही गयी। जिस पर पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 24.10.17 के अनुसार उक्त भूमि ग्राम ताउसर के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शा अनुसार खसरा नं. 651 रकबा 7.15 बीघा गै.मु. गोचर मे अवस्थित होना बताया गया है तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जो कि प्रश्नगत भूमि के चिपती ही भूमि से संबंधित है, के अनुसार तहसीलदार नागौर के प्रकरण सं. 29/18 सरकार बनाम रामेश्वरलाल अधीन धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पारित आदेश दिनांक 14.05.18 से भी विवादित भूमि खसरा नं. 651 गै.मु. गोचर वाके ताउसर का भू भाग होना प्रकट करता है। जब भूमि आबादी क्षेत्र की नही है तथा न ही पंचायत की अपनी भूमि है तो ऐसी भूमि को पंचायत द्वारा विक्रय / आवंटन के कोई अधिकार निहित नही करते हुए भी प्रस्ताव जैर निगरानी पारित किया जाना प्रकट है।

5(4)– अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली सं. 27/90–91 श्री महावीर पुत्र मुन्नालाल का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार अप्रार्थी सं. 1 द्वारा दिनांक 30.06.90 को उसके पीढियो की कब्जासुद भूमि का पटटा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तीन वार्ड पंचो की मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 30.07.90 को प्रस्तुत हुई है। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. 1 दिनांक 30.07.90 के द्वारा कब्जासुद भूमि का पटटा बनाने बाबत एक माह का मियाद का आपत्ति नोटिस जारी करने का विनिश्चय किया गया है। जिस पर दिनांक 30.07.90 को जारी नोटिस आम गुवाड मे धनराज व पापालाल के सामने चस्पा किया जाना अंकन आया है। कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत ताउसर दिनांक 30.9.90 के प्रस्ताव सं. 1 के अनुसार आपति नोटिस पर कोई आपति नही होना मानते हुए संबंधित प्रार्थी को कब्जे के सबूत एवं बयान हेतु आगामी बैठक मे पेश करने के निर्देश दिये गये। बैठक कार्यवाही रजिस्टर के अवलोकन से बैठक कार्यवाही दिनांक 30.06.90 के प्रस्ताव सं. 4 मे मदनलाल व अन्य करीब 28 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने का,

अपर कलक्टर, नागौर

बैठक कार्यवाही दिनांक 15.07.90 प्रस्ताव सं. 1 मे पटटा बनाने की मिसल सं. 1 से 28 तक पेश होने का एवं बैठक कार्यवाही दिनांक 30.09.90 के प्रस्ताव सं. 1 मे पटटा बनाने बाबत मिसल सं. 1 से 28 प्रस्तुत होने का अंकन आया है। मगर प्रस्ताव मे व्यक्तिवार / नामवाईज अंकन नही आया है। राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 256 (2) के तहत पंचायत से आबादी भूमि खरदीने के लिये दरख्वास्त के साथ पंचायत मे 2 रू. जो भूमि खरीदी जानी है। उसका नक्शा तैयार करने के लिये जमा करवाये जाने के प्रावधान है। मगर प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा करवायी गयी हो, ऐसा पत्रावली पर नही है। नियम 260 के अन्तर्गत सूचना पत्र दो प्रतियो मे तैयार किया जाकर एक प्रति उसे बेची जाने के लिये प्रस्थापित भूमि के किसी प्रमुख स्थान पर चिपकायी जायेगी और दूसरी प्रति उसको वहां चिपकाये जाने की पुष्टि मे उस स्थान के कम से कम दो स्थानीय व्यक्तियो के हस्ताक्षर प्राप्त किये जायेगे। पत्रावली पर उपलब्ध नोटिस आपति विज्ञप्ति की प्रति पृष्ठ पर नोटिस आम गुवाड मे धनराज व पापालाल के सामने चस्पा किये जाने का अंकन है। जबकि ये नोटिस संबंधित स्थल पर चस्पानगी दो स्थानीय व्यक्तियो के सामने चस्पानगी नही हुई है। धनराज व पापालाल नामक व्यक्ति स्थानीय व्यक्ति है अथवा नही, उसकी वल्दियत व निवास का विवरण अंकित नही है। जिससे आपति नोटिस की पर्याप्तता दर्शित नही होती है। साक्ष्य के बयानो मे विवादित भूमि पर कब्जा 18–20 वर्ष पुराना बताया गया है। मगर कब्जा किस प्रकार से है, आया उस पर कोई निर्माण है अथवा नही। ऐसा कोई अंकन नही है। जिससे भी आराजी भूमि तत्समय खुली होना ही प्रकट करता है। इस प्रकार पटटा जैर निगरानी पारित करने से पूर्व पंचायत राज नियमो के विधिक आज्ञापक प्रावधानो की पालना किया जाना भी प्रकट नही होता है।

ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत ताउसर की बैठक दिनांक 15.02.1991 के प्रस्ताव सं. 3 के द्वारा मिसल सं. 27/90–91 महावीर पुत्र मुन्नालाल माली को पटटा जारी करने से संबंधित प्रस्ताव एवं मिसल सं. 27/90–91 मे जारी पटटा सं. 26 बहक महावीर की सीमा तक निरस्त किया जाता है।

7– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर